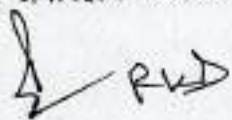


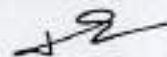
जांच आख्या

मुख्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप सं. पर/एस.एस.सी/302, दिनांक 15.09.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 20.09.2022 से 21.09.2022 तक मोहिउद्दीनपुर इकाई में प्रवास कर श्री दीपक राणा, मोहिउद्दीनपुर, मेरठ के अदिनांकित शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में यथावॉछित अभिलेख प्राप्त किये गये। उक्त जांच के क्रम में समिति द्वारा पत्र दिनांक 20.09.2022 (पत्र की छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से प्रभारी प्रधान प्रबंधक, इकाई-मोहिउद्दीनपुर को शिकायती पत्रों में उल्लिखित शिकायतों पर बिन्दुवार अभिलेखीय साक्ष्यों सहित विस्तृत आख्या एवं इकाई का मत प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, साथ ही शिकायतकर्ता श्री दीपक राणा, मोहिउद्दीनपुर, मेरठ को पंजीकृत पत्र दिनांक 22.09.2022 (पत्र की छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से शिकायत के सम्बन्ध में बिन्दुवार उपलब्ध साक्ष्यों को कमेटी के समक्ष प्रेषित करने हेतु भी सूचित किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री दीपक राणा द्वारा नियत अवधि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा पुनः पंजीकृत पत्र दिनांक 31.10.2022 (पत्र की छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर शिकायत के सम्बन्ध में बिन्दुवार साक्ष्यों को उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया। समिति के उक्त पत्र के क्रम में श्री दीपक राणा द्वारा अदिनांकित पत्र (पत्र की छायाप्रति संलग्न) वाट्सएप के माध्यम से समिति के सदस्य श्री एम.के.कुलश्रेष्ठ को दिनांक 13.11.2022 को भेजा गया, परन्तु उक्त पत्र के साथ कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न कराते हुये वॉछित अभिलेख चीनी मिल से प्राप्त करने हेतु कहा गया। इकाई के प्रभारी प्रधान प्रबंधक की बिन्दुवार टिप्पणी (संलग्न) एवं सम्बन्धित अधिकारियों से विस्तृत वार्ता कर प्राप्त की गयी जानकारी तथा उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त जांच कमेटी की तथ्यात्मक बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

बिन्दु सं.-01 मिल से निकलने वाली राखी के विक्रय में घोर अनियमितता

इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि ब्वायलर के ई.एस.पी से निकली हुई राख (फ्लाई ऐश) पूर्व में फैक्ट्री परिसर एवं ई.टी.पी में गहराई वाले स्थानों पर व बैगास यार्ड में स्विचयार्ड के आस-पास रिक्त स्थान पर डम्प की जाती रही है। धीरे-धीरे डम्प की जाने वाली राख की मात्रा अधिक हो जाने के कारण, स्थान की कमी पड़ने के फलस्वरूप निकलने वाली राख को डम्प करने की समस्या होने लगी। इकाई का संचालन करने वाली कम्पनी द्वारा डम्पिंग ग्राउन्ड की निरन्तर मांग करने, पर्यावरण विभाग द्वारा एवं ट्रान्सफार्मर के निकट होने के कारण बिजली विभाग द्वारा राख को तत्काल हटाने हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि ब्वायलर की राख को मिल परिसर के आस-पास भी डाला गया परन्तु गर्म राख के ठण्डा होने में अत्यधिक समय लगने के कारण कई बार लोगों के पैर जलने की शिकायतें भी प्राप्त हुई। उक्त स्थिति में तत्समय राख के तत्काल निस्तारण हेतु मिल द्वारा अपने व्यय पर राख को गड्ढा खोदकर उसमें भरने व उस पर पानी डालने की कार्यवाही की गयी, जिस पर पर्यावरण विभाग द्वारा भूमि संरक्षण के दृष्टिगत आपत्ति व्यक्त की गयी। पर्यावरण विभाग द्वारा निरन्तर की जा रही आपत्तियों के दृष्टिगत तथा राख के तत्काल निस्तारण हेतु तत्समय कोई विकल्प परिलक्षित नहीं होने के कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में इकाई प्रबंधन द्वारा स्थानीय स्तर पर अथक प्रयास किया गया तथा





प्रशासनिक निर्णय लेते हुये दिनांक 21.07.2021 को 15 ट्राली व दिनांक 09.08.2021 को 01 ट्राली रु 100 प्रति ट्राली की दर से मिल कोष में धनराशि जमा कराकर उठान कराया गया।

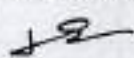
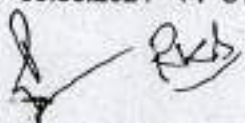
उपरोक्त के कम में इकाई द्वारा उपलब्ध राख के विक्रय के सम्बन्ध में दिनांक 11.08.2021 को निविदा आमंत्रित की गयी, जिसमें कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। पुनः इकाई की कय समिति द्वारा दिनांक 25.08.2021 को बैठक की गयी (कार्यवृत्त की छायाप्रति पत्रावली सं.-01 पर उपलब्ध है)। बैठक में आमंत्रित निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त न होने की स्थिति में उक्त राख के निस्तारण के सम्बन्ध में मिल की कय समिति द्वारा विचार करने पर निम्न दो विकल्प सामने आये:-

- 1) राख को अन्यत्र शिफ्ट किया जाना।
- 2) इच्छुक क्रेताओं को राख का विक्रय किया जाना।

समिति द्वारा पूर्व में राख के निस्तारण हेतु राख को शिफ्ट कराने की गयी कार्यवाही में लेबर एवं ट्रान्सपोर्ट इत्यादि पर होने वाले भारी व्यय के दृष्टिगत विचार न कर दूसरे विकल्प के रूप में राख के विक्रय करने पर विचार किया गया। इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में कभी भी राख की बिक्री सम्भव नहीं हो सकी है, यद्यपि इकाई में यदा-कदा राख लेने के इच्छुक व्यक्ति सम्पर्क करते रहे हैं और उनके द्वारा रु 100 प्रति डम्पर राखी उठाने के आफर भी दिये गये हैं। अतः कय समिति द्वारा दिनांक 25.08.2021 की बैठक में राख निस्तारण की समस्या के दृष्टिगत राख को कय करने हेतु पूर्व में इच्छुक क्रेताओं से प्राप्त दर रु 100 प्रति डम्पर को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया गया कि रु 150 प्रति डम्पर एवं रु 100 प्रति ट्राली की दर निर्धारित कर इच्छुक क्रेता से राख उठान करा दिया जाये, जिससे मिल को अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने के साथ-साथ प्रदूषण की समस्या का भी निस्तारण होगा।

कय समिति के उपरोक्त निर्णय के कम में राख के उठान की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी। इच्छुक क्रेता द्वारा आवश्यक राख को कय करने हेतु आवेदन पर प्रधान प्रबन्धक की अनुमति प्रदान किये जाने के उपरान्त क्रेता से निर्धारित दर के अनुसार कुल धनराशि लेखा विभाग में जमा कराकर सुरक्षा विभाग द्वारा एक रजिस्टर पर क्रेता द्वारा तिथिवार उठान किये गये डम्पर/ट्रालियों की संख्या अंकित की गयी है। (क्रेता द्वारा आवेदन के साथ जमा कराई गई धनराशि की रसीद एवं राख उठान रजिस्टर की छाया प्रति पत्रावली सं.-01 पर उपलब्ध है)।

जांच समिति द्वारा राख के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई द्वारा की गयी कार्यवाही यथा-कय समिति के कार्यवृत्त, पूर्व में राख को कय करने के सम्बन्ध में इच्छुक क्रेताओं के ऑफर, निविदा सूचना, समय-समय पर मुख्य अभियंता द्वारा पर्यावरण के दृष्टिगत राख के निस्तारण हेतु प्रधान प्रबन्धक को दिये गये पत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गयी आपत्ति, कय समिति के राख विक्रय के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के उपरान्त इच्छुक क्रेताओं के आवेदन पत्र, जमा की गयी धनराशि की रसीद तथा बिक्रीत राख के उठान के सम्बन्ध में सुरक्षा विभाग के रजिस्टर का अवलोकन/परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त पाया गया कि चीनी मिल के ई.एस.पी से निकली हुई राख के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई द्वारा राख विक्रय हेतु लिया गया निर्णय तत्समय की परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक था एवं राख विक्रय के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही सम्यक रूप से मिल हित में है तथा उचित प्रतीत होती है। पुनः सुरक्षा विभाग के राख के उठान के रजिस्टर व लेखा विभाग में जमा कराई गयी धनराशि की रसीदों के मिलान करने पर पाया गया कि इकाई की कय समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 25.08.2021 के पूर्व दिनांक 21.07.2021 को 15 ट्राली व दिनांक 09.08.2021 को 01 ट्राली रु 100 प्रति ट्राली की दर से धनराशि मिल कोष में जमा कराकर



उठान कराये जाने का प्रशासनिक निर्णय इकाई प्रबन्धन द्वारा तत्समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत तथ्यहीन परिलक्षित है।

बिन्दु सं. 02:- मिल में चल रही गाड़ियों की फर्जी लॉग बुक

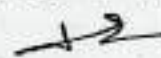
इकाई द्वारा सूचित किया गया है कि इकाई में कुल 02 बोलेरो जीप किराये पर इकाई कार्यों हेतु सम्बद्ध की गयी है, जिसमें वाहन सं.- UP 81 AU 4544 ड्राइवर सहित है तथा वाहन सं.-UP 12 AK 6735 का अनुबन्ध ड्राइवर रहित है (वाहन चालक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है)।

इकाई के प्रधान प्रबंधक द्वारा वाहनों के व्यक्तिगत कार्यों के प्रयोग के संबंध में उक्त वाहनों की लॉग बुक का परीक्षण करने पर लॉग बुक में की गई एंट्री के अनुसार व्यक्तिगत यात्रा परिलक्षित नहीं हो रही। वाहन के उपयोग के सम्बन्ध में इकाई द्वारा सूचित किया गया कि इकाई में चीनी का उत्पादन बढ़ने के कारण मिल परिसर से बाहर गोदाम किराये पर ले कर चीनी का भण्डारण किया गया। प्रतिदिन के चीनी उत्पादन को इकाई से परिवहन दुलाई की देखरेख तथा चीनी के सुरक्षित पहुँचने तथा गोदाम में चीनी उतार कर रखवाने के कार्य के साथ-साथ उक्त गोदामों से चीनी उठान का निरीक्षण, स्टाफ/लेबर भेजने हेतु तत्परता सुनिश्चित करने के लिये वाहन का उपयोग किया गया। इकाई द्वारा यह भी सूचित किया गया कि आबकारी, प्रदूषण, प्रशासन विभाग के अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर वाहन की मांग की जाती रही है, जिस हेतु भी वाहन का प्रयोग किया गया। शिकायती पत्र में उल्लेखित वाहन सं.- UP81AU 4544 की वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 (अद्यतन) की लॉग बुक तथा 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में टोल के मद में माहवार व्यय का विवरण, वाहन चालक द्वारा टोल की धनराशि भुगतान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा उपलब्ध कराई गयी टोल की रसीदों का परीक्षण किया गया (उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेखों की छायाप्रति पत्रावली सं. 02 पर प्रस्तुत है)। परीक्षणोपरान्त पाया गया कि लॉग बुक में दर्शायी गयी यात्रा के अनुसार ही वाहन चालक द्वारा टोल की धनराशि भुगतान करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है, परन्तु 11, सितम्बर 2020 के उपरान्त प्रार्थना पत्र के साथ टोल रसीद उपलब्ध नहीं कराई गयी है। बिना टोल रसीद के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में जब फास्ट टैग अनिवार्य नहीं था तब तक टोल रसीद प्राप्त होती थी, फास्ट टैग अनिवार्य होने के बाद में वसूली गयी टोल की धनराशि का मैसेज चालक के मोबाइल पर आने लगा। इकाई द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रारम्भ में वाहन चालक द्वारा टोल के मैसेज का प्रिन्ट उपलब्ध कराया गया, परन्तु बाद में वाहन चालक द्वारा मोबाइल खराब होने के कारण नये मोबाइल में मैसेज न आना बताया गया। उक्त स्थिति में लेखा विभाग द्वारा लॉग बुक में की गयी इन्ट्री का सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी (जिसने वाहन का प्रयोग किया है), के सत्यापन के आधार पर देय टोल की धनराशि का भुगतान किया जाने लगा।

उक्त वाहन का प्रयोग अधिकांशतः विभिन्न बाह्य चीनी गोदामों यथा-बामन हेड़ी, सिकन्द्राबाद, गुलावटी की यात्रा हेतु किया गया है। उक्त यात्राओं के सम्बन्ध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि बाह्य चीनी गोदामों में चीनी भण्डारण एवं उठान की तिथियों में प्रभारी, प्रधान प्रबंधक के साथ-साथ गोदाम कीपर द्वारा वाहन का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त बाह्य चीनी गोदामों में रखी चीनी की सुरक्षा के दृष्टिगत कई बार प्रभारी प्रधान प्रबंधक व इकाई के अन्य अधिकारियों द्वारा भी उक्त वाहन का प्रयोग किया गया है।

उपरोक्तानुसार उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत अभिकथन के अनुसार वाहन द्वारा की गयी यात्रायें तथ्यात्मक दृष्टि से मिल हित में की गई प्रतीत होती है तथा लॉगबुक में प्रत्येक यात्रा का सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किये जाने के फलस्वरूप यात्रा फर्जी परिलक्षित नहीं हो रही है। सम्बन्धित ड्राइवर द्वारा टोल की रसीद जमा न करने के कारण, पर्याप्त साक्ष्यों के



अभाव में टोल से गाड़ी पास हुई अथवा नहीं के संबंध में समिति द्वारा टिप्पणी/आख्या देना संभव नहीं है।

बिन्दु सं.-3 गेस्ट हाउस के नाम पर फर्जी बिल डालकर लाखों रुपये का गबन

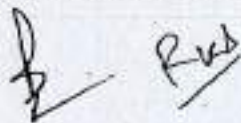
इकाई में प्रधान प्रबन्धक, आवास परिसर में पूर्व से ही अतिथि गृह संचालित है। गेस्ट हाउस के रखरखाव एवं संचालन व्यवस्था श्री एफ.ए.सिद्दीकी (सहायक अभियंता सिविल) के पर्यवेक्षीय नियंत्रण में की जा रही है। गेस्ट हाउस विजिटर-रजिस्टर पूर्व से ही अनुरक्षित है, जिसमें तिथिवार आगन्तुकों के भोजन आदि का विवरण दर्ज किया जा रहा है (विजिटर रजिस्टर की छाया प्रति संलग्न पत्रावली सं. 03 पर उपलब्ध है)। इकाई में धोबी के नाम पर हजारों रुपये के पेमेन्ट करने के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में कपड़ा धुलाई, ड्राई-क्लीनिंग आदि के मद में किए गए व्यय का ब्योरा प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में क्रमशः उक्त मद पर रु. 640.00 एवं रु. 2320.00 का व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में उक्त मद पर रु. 13980/- का व्यय दर्शाया गया है (धुलाई के मद में किये गये व्यय के विवरण की छायाप्रति पत्रावली सं. 03 पर उपलब्ध है)। उक्त व्यय के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2021 में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत यथा-आवश्यक सुधार कराकर माननीय गन्ना मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग के द्वारा गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया गया था, जिसमें मा. मंत्री जी द्वारा गेस्ट हाउस की साफ सफाई एवं सुसज्जा पर विशेष ध्यान हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देशों के क्रम में गेस्ट हाउस में पर्दों, कम्बल, चादरों, तौलियों एवं सोफा कवर इत्यादि की नियमित धुलाई कराई जा रही है। इकाई द्वारा यह भी सूचित किया गया कि उक्त मद में किया गया व्यय मुख्यालय द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत है (गत तीन वर्षों का माह वार गेस्ट हाउस के मद में किए गए वास्तविक व्यय एवं स्वीकृत बजट की छाया प्रति पत्रावली सं. 03 पर उपलब्ध है)।

उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा प्रभारी प्रधान प्रबन्धक के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त से अबतक गेस्ट हाउस में किये गये भोजन आदि के मद में जमा की गयी धनराशि का विवरण लेखा विभाग से प्राप्त करने पर पाया गया कि वर्ष 2020-21 में रु. 1,52,350.00, वर्ष 2021-22 में रु. 1,80,000.00 एवं 2022-23 में अगस्त 2022 तक रु. 75,000.00 कुल 4,07,350.00 की कटौती उनके वेतन से की गयी है (विवरण की छायाप्रति पत्रावली सं. 03 पर उपलब्ध है)।

उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत शिकायती पत्र में की गई शिकायत तथ्यहीन परिलक्षित होती है।

बिन्दु सं.-4 लेबर ठेकेदारों के नाम पर भुगतान करके लाखों रुपये का गबन।

इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि मिल में दो ठेकेदारों क्रमशः मेसर्स सुबोध कुमार, मोदीनगर एवं श्री बालाजी सोल्युशन, मेरठ से मिल में कार्य की आवश्यकता के अनुसार लेबर सप्लाई का काम लिया जाता है। इकाई के गन्ना विभाग में पूर्व में मिल के पुर्नसंचालन के समय से संविदा पर लिपिकीय कर्मचारी रखकर कार्य कराया जाता था कालान्तर में मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को सेवा मुक्त किये जाने अथवा कतिपय कर्मचारियों द्वारा स्वयं सेवा छोड़ देने के कारण कर्मचारियों की कमी हो जाने के फलस्वरूप वर्ष 2020 में मुख्यालय के निर्देशानुसार पदवार लिपिकों के स्वीकृत वेतन के आधार पर इकाई द्वारा ई-निविदा निकाली गई, जिसमें मै. बालाजी सोल्युशन, मेरठ को 01 प्रतिशत सर्विस चार्ज पर कतिपय नियम व शर्तों के साथ दिनांक 30.11.2020 को कर्मचारियों की सप्लाई हेतु आदेश निर्गत किया गया (छायाप्रति पत्रावली सं.



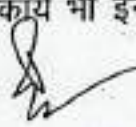
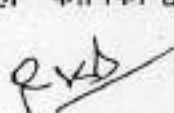
12

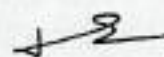
04 पर उपलब्ध है)। उक्त के अतिरिक्त मै. सुबोध कुमार, मोदीनगर से पूर्व में गन्ना विभाग में आवश्यकतानुसार चौकीदारों की सप्लाई तत्समय दैनिक वेतन भोगी के रूप में रु 170/- प्रति चौकीदार/08 घण्टे की दर से कराई जाती थी। सुबोध कुमार को तत्समय निर्गत कार्यादेशों के अनुसार उन्हें 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज देय था तथा उक्त आदेश में ही बाह्य गन्ना कय केन्द्रों पर तैनात चौकीदारों हेतु 24 घण्टे ड्यूटी के बदले 04 घण्टे का अतिरिक्त वेतन देना प्रविधानित है। इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार कालान्तर में वर्ष 2017 से सुबोध कुमार से गन्ना विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों यथा चीफ कैमिस्ट आफिस, कय विभाग, लेखा विभाग, गेस्ट हाउस, समय कार्यालय, इन्जीनियरिंग विभाग, स्टोर, कैम्प कार्यालय, प्रशासनिक विभाग व सफाई हेतु आवश्यक कार्मिकों की दैनिक वेतन भोगी के रूप में तत्समय लागू दर रु 170/- प्रति कर्मचारी पर अपूर्ति कराई जाने लगी (कार्यादेश की छायाप्रतियां पत्रावली सं. 04 पर उपलब्ध है)। वर्तमान में भी उक्त व्यवस्था यथावत है। इकाई द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सुबोध कुमार द्वारा अपूर्ति कर्मचारियों की सप्लाई मिल परिसर हेतु समय कार्यालय के माध्यम से कराई जाती है तथा मुख्य समयपाल द्वारा सप्लाई किये गये समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति सत्यापित करने तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत माहवार बिल की संस्तुति किये जाने के उपरान्त लेखा विभाग द्वारा आवश्यक प्रपत्रों की चैकिंग की जाती है। तदोपरान्त देय धनराशि का भुगतान बैंक/बैंक ट्रान्सफर द्वारा ठेकेदारों को किया जाता है (सत्यापित बिल की छायाप्रतियां पत्रावली सं. 04 पर उपलब्ध है)। उक्त के अतिरिक्त बाह्य कय केन्द्रों पर सप्लाई/ कार्यरत चौकीदारों की उपस्थिति का सत्यापन मुख्य गन्ना प्रबन्धक द्वारा किया जाता है (हाजरी रजिस्टर की छायाप्रति पत्रावली सं. 04 पर उपलब्ध है)। इकाई द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मिल के अन्दर कार्यरत किसी भी दैनिक भोगी कर्मी को ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता द्वारा लेबर ठेकेदारों को बिना कार्यादेश जारी किये हर माह फर्जी तरीके से लाखों रुपये का भुगतान कराये जाने तथा गन्ना विभाग में सेन्टर पर कर्मचारियों का भुगतान बिना गन्ना मैनेजर से पास कराये, किये जाने की शिकायत निराधार परिलक्षित होती है।

बिन्दु सं.-05 सिविल विभाग में फर्जी तरीके से सामान खरीद व ओवर टाइम तथा मजदूरों की हाजिरी में घोटाला।

इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के आवासीय कालोनी 1933-35 की स्थापित है। कालोनी में स्थित आवासों को आउटसोर्सिंग तथा इकाई स्टाफ को उपलब्ध कराया जाता है। 2009-11 के मध्य इकाई बन्द हो गयी थी, जिससे आवासीय कालोनी की स्थिति अत्यन्त जर्जर हो गयी थी तथा छत एवं दीवार गिरने की घटनायें भी हुई हैं। सिविल विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि विभाग में दैनिक वेतन भोगी एक मिस्त्री एवं 06 मजदूर लगभग निरन्तर कार्य करते हैं। उक्त श्रमिकों द्वारा इकाई के केनयार्ड, लेबर कालोनी, प्रशासनिक भवन, कार्यालय भवन, चीनी गोदाम, बाउन्ड्रीवाल एवं फैंक्ट्री परिसर में फर्श एवं नालियों आदि की मरम्मत तथा समय-समय पर कार्य की आवश्यकता जैसे वृक्षारोपण तथा मिल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के आयोजन के समय में भी इन कार्मिकों का उपयोग किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त केनयार्ड में स्थित शौचालय भवन के ऊर्चीकरण एवं उसके अर्तगत 10 शौचालयों की सीट लगाने, फर्श व ड्रेन आदि बनाने एवं सेप्टिक टैंक को ऊँचा करने, प्याऊ की नालियां बनाने एवं गिरी हुई बाउन्ड्रीवाल के निर्माण आदि का कार्य भी इन्हीं कार्मिकों द्वारा किया गया है। उक्त कार्यों के अतिरिक्त कालोनी में



वर्षा से पूर्व छतों को साफ कर, आवश्यक मरम्मती कार्य भी इन्हीं कर्मचारीयों द्वारा किया जाता है। विद्युत विभाग एवं वाटर सप्लाई प्लम्बिंग आदि कार्यों के हेल्पर के रूप में भी सिविल विभाग के इन्हीं कार्मिकों का उपयोग किया जाता है। इकाई द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि स्थानीय बाजार की दरों की तुलना में कम दर पर उक्त कार्मिक कार्य करते हैं, यदि इन कार्मिकों को ब्रेक किया जाता है तो बाजार दर से कम दर पर कार्मिक उपलब्ध नहीं हो पायेंगे। अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं कार्य की अधिकता के दृष्टिगत इन कार्मिकों की निरन्तरता बनाये रखना आवश्यक है।

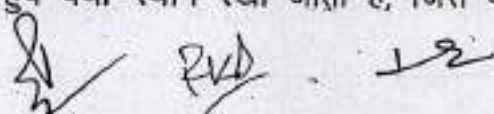
इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सिविल विभाग में कार्यरत किसी भी कार्मिक को वेतन के अतिरिक्त कोई भी भुगतान/ ओवर टाइम नहीं दिया गया है। सिविल विभाग द्वारा खुद सामान खरीदने एवं रेंट तय करने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा सिविल विभाग से सम्बन्धित सामग्री हेतु इकाई के कय विभाग द्वारा गत दो वर्षों की निर्गत कय आदेश की छायाप्रतियां उपलब्ध कराई गयी है (उपलब्ध करायी गयी समस्त छायाप्रतियां पत्रावली सं. 05 पर उपलब्ध है)। जी.आर.वी. मेटिरियल की मात्रा खुद सत्यापित करने, खुद ही भुगतान की संस्तुति करके स्वयं पेमेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा जी.आर.वी. एवं पार्टी द्वारा प्रस्तुत बिल की छायाप्रतियां उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि इकाई में आपूर्ति सामग्री की गुणवत्ता सम्बन्धित विभाग द्वारा एवं मात्रा का सत्यापन स्टोर विभाग द्वारा किया जाता है। सत्यापित जी.आर.वी. के साथ पार्टी का बिल संलग्न कर भुगतान हेतु स्टोर विभाग द्वारा लेखा विभाग को भेजा जाता है। तदोपरान्त लेखा विभाग द्वारा समस्त वांछित अभिलेखों की जांच कर पार्टी को चेक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है (जी.आर.वी. और पार्टी के बिल की छाया प्रति पत्रावली सं. 05 पर उपलब्ध है)।

उपरोक्त अभिलेखों के परीक्षण एवं सामग्री आपूर्ति व भुगतान के सम्बन्ध में इकाई द्वारा की जा रही कार्यवाही नियमानुसार है, के दृष्टिगत शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार परिलक्षित होती है।

बिन्दु सं. 06-बाह्य गोदामों के रखी हुई चीनी में घोटाला

इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2018-19 से बाह्य गोदामों यथा बामनहेड़ी (मुजफ्फरनगर), मलियाना (मेरठ), जगेंठी (मेरठ), गुलावटी (बुलन्दशहर), सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) में प्रति वर्ष रखी जा रही है। उत्पादन वर्षवार/गोदामवार भण्डारित की गई चीनी का विवरण उपलब्ध कराया गया (छायाप्रति पत्रावली सं. 06 पर उपलब्ध है)। इकाई द्वारा बाह्य गोदामों में भण्डारित चीनी के उठान के सम्बन्ध में स्टॉक रजिस्टर, जिसमें गोदामवार प्रतिदिन किये गये चीनी के उठान का अंकन किया जाता है, उपलब्ध कराया गया (प्रत्येक बाह्य गोदामों के स्टॉक रजिस्टर की छायाप्रति पत्रावली सं. 06 पर उपलब्ध है)। उक्त के अतिरिक्त अभिलेखानुसार प्रत्येक बाह्य गोदामों में भण्डारित की गयी चीनी एवं उसके सापेक्ष माहवार उठान व अवशेष का विवरण तैयार कर उपलब्ध कराया गया (विवरण पत्रावली सं. 06 पर उपलब्ध है)।

गोदामों में ज्यादा उल्टा-पल्टी दिखाकर चीनी ठेकेदार के नाम पर लाखों रुपये के पेमेन्ट के सम्बन्ध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई परिसर के बाहर भण्डारित की गयी चीनी के सुरक्षित संरक्षण हेतु चीनी के बोरो के हैंडलिंग, उठान, लदान व चट्टा तोड़ने आदि के दौरान क्षतिग्रस्त/कटे-फटे बोरो को आवश्यकतानुसार नये बोरो में रखवाकर, वजन कराते हुए उन्हें सिलवाकर बिक्री योग्य बनाते हुये यथा-स्थान रखा जाता है, जिसे बोरो का स्टैन्डर्ड किया जाना



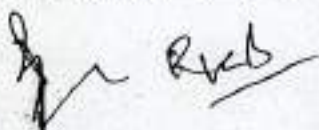
कहते हैं। चीनी के बोरो के हैंडलिंग के दौरान क्षतिग्रस्त होना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे चीनी के सुरक्षण एवं भण्डारण हेतु कराया जाना आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में स्टैण्डर्ड कराये गये बोरो एवं उस पर होने वाले व्यय का विवरण इकाई द्वारा उपलब्ध कराया गया (छायाप्रति पत्रावली सं. 06 पर उपलब्ध है)। इकाई द्वारा मिल परिसर के साथ-साथ बाह्य चीनी गोदामों में रखी चीनी के बोरो के कटफटे होने की स्थिति में उन्हें बदलने हेतु स्टोर से ईशू कराये गये बोरो की ईशू-स्लिप व पुराने कटे फटे जमा कराये बोरो का विवरण भी उपलब्ध कराया गया (छायाप्रति पत्रावली सं. 06 पर उपलब्ध है)।

शिकायतकर्ता द्वारा चीनी को फर्जी तरीके से गीली दिखाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व से ही मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये चीनी को अर्धनम घोषित किया जाता है, उक्त प्रक्रिया में इकाई के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य इकाई के मुख्य रसायनज्ञ स्तर के अधिकारी की एक समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अर्धनम चीनी को चिन्हित करते हुये उक्त चीनी को अर्धनम घोषित किया जाता है। इकाई द्वारा मिल के पुनर्संचालन से अबतक तिथिवार चीनी को अर्धनम घोषित किये जाने के कार्यवृत्त उपलब्ध कराये गये (छायाप्रतियाँ पत्रावली सं. 06 पर उपलब्ध है)।

पुनः शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान प्रधान प्रबन्धक के चार्ज लेने के बाद से गीली चीनी घोषित करने की स्पीड में इजाफा होने के सम्बन्ध में की गई शिकायत पर समिति द्वारा वर्तमान प्रधान प्रबन्धक के साथ-साथ पूर्व प्रधान प्रबन्धकों के कार्यकाल में सत्रवार/तिथिवार/गोदामवार घोषित की गयी अर्धनम चीनी की मात्रा प्राप्त की गयी। प्राप्त अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अधिकांशतः बाह्य गोदामों में भण्डारित चीनी का अर्धनम होना पाया गया। उल्लेखनीय है कि चीनी उत्पादन के सापेक्ष चीनी के विक्रय न होने के फलस्वरूप इकाई में भण्डारण की समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण पेराई सत्र के सुचारु रूप से संचालन के दृष्टिगत बाध्य होकर चीनी को सत्र 2018-19 (02.01.2019) से बाह्य गोदामों में चीनी का भण्डारण प्रारम्भ किया गया।

सर्वप्रथम चीनी मिल के गोदामों में भण्डारित चीनी के सापेक्ष बाह्य गोदामों में भण्डारित चीनी के अधिक अर्धनम होने के कारणों के सम्बन्ध में इकाई के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत् पाया गया :-

- 1) बाह्य गोदामों का प्रयोग मुख्यतः अनाज के भण्डारण हेतु किया जाता है, तदनुसार गोदामों का निर्माण होता है। चीनी के भण्डारण हेतु इकाई द्वारा सर्वप्रथम उक्त गोदामों को एयर टाइट बनाया जाता है, चूँकि चीनी का हाइग्रेस्कोपिक नेचर होने के कारण हवा के सम्पर्क में आने पर चीनी का नम हो जाना स्वाभाविक है यद्यपि इकाई द्वारा बाह्य गोदामों के खिड़की एवं रोशनदान को बन्द कराते हुये एयर टाइट करने का प्रयास किया गया परन्तु फिर भी भण्डारित चीनी में हवा लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।
- 2) बाह्य गोदामों की उँचाई चीनी मिल में स्थापित गोदामों की तुलना में लगभग 2/3 होने के कारण छत व भण्डारित बोरो के चटटे के मध्य अन्तर कम होने के कारण चीनी के नम होने की सम्भावना अधिक रहती है।
- 3) इकाई में चीनी की भण्डारण चीनी उत्पादन के उपरान्त कन्वेयर के माध्यम से सीधे चीनी गोदाम में किया जाता है, जबकि बाह्य गोदामों में ट्रक से ट्रान्सपोर्ट कर चीनी का भण्डारण कराया जाता है जिसमें चीनी उत्पादन से भण्डारण के मध्य अधिक मैनुअल हैंडलिंग के फलस्वरूप अधिक समय

 R. K. Singh



तक चीनी का बाहरी वातावरण के सम्पर्क में रहने के कारण एवं कभी-कभी खराब मौसम में चीनी के ट्रान्सपोर्टेशन किये जाने की बाधिता के कारण भी बाह्य गोदामों में भण्डारित चीनी के नम होने की सम्भावना अधिक रहती है।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा प्रधान प्रबन्धकों के कार्यकालवार/गोदामवार घोषित की गयी अर्धनम चीनी की मात्रा का विश्लेषण किया गया तथा पाया गया कि वर्ष 2018-19 में 3,10,853.50 कुं., वर्ष 2019-20 में 6,02,470 कुं., वर्ष 2020-21 में 56,225 कुं. एवं वर्ष 2021-22 में 2,24,925 कुं. चीनी का भण्डारण बाह्य गोदामों में किया गया। समिति द्वारा यह भी पाया गया कि वर्तमान प्रभारी प्रधान प्रबन्धक के कार्यकाल में ही अधिकांशतः बाह्य गोदामों में चीनी का भण्डारण किया गया है। अतः उक्त स्थिति में जब कि अधिकांशतः बाह्य गोदामों में भण्डारित चीनी अर्धनम हुई है तथा बाह्य गोदामों में अधिकांश चीनी का भण्डारण वर्तमान प्रभारी प्रधान प्रबन्धक के कार्यकाल में ही किया गया है, शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान प्रधान प्रबन्धक के चार्ज लेने के बाद से गीली चीनी घोषित करने की स्पीड में इजाफा होने के सम्बन्ध में परिस्थितियों में भिन्नता के कारण समिति द्वारा पूर्व प्रधान प्रबन्धकों की तुलना में वर्तमान प्रधान प्रबन्धक के कार्यकाल में अधिक चीनी के अर्धनम घोषित किये जाने पर टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है।

अतः समिति द्वारा अभिलेखों के परीक्षण एवं इकाई द्वारा प्रस्तुत कथन के आधार पर पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा बाहरी गोदामों में खाली कट्टे भेज कर अवैध रूप से चीनी बेचने तथा कटे-फटे कट्टे मिल में जमा न करने की शिकायत निराधार पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त चीनी को फर्जी तरीके से गीली दिखा कर दर के अन्तर का हिस्सा प्रधान प्रबन्धक द्वारा लिये जाने एवं वर्तमान प्रधान प्रबन्धक द्वारा पूर्व की अपेक्षा अधिक मात्रा में गीली चीनी घोषित करने सम्बन्धी शिकायत भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि तत्समय भण्डारण की स्थिति के दृष्टिगत इकाई द्वारा बाह्य गोदामों में चीनी का भण्डारण किया गया साथ ही इकाई द्वारा चीनी नम घोषित किये जाने की कार्यवाही भी मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करते हुये, की गयी है। उक्त के दृष्टिगत शिकायतकर्ता की यह शिकायत निराधार व बलहीन है।

उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायतों पर समिति द्वारा इकाई के अभिकथन/प्राप्त अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त बिन्दुवार टिप्पणी/आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इकाई का अभिकथन एवं प्राप्त किये गये अभिलेखों को बिन्दुवार अलग-अलग पत्रावलियों में संकलित कर आख्या के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है।

संलग्नक: यथोपरि

Rubrivastan
(आर.के.श्रीवास्तव)
प्रभारी प्रशासन
14.11.2022

Boipai
(अखिलेश बाजपेई)
मुख्य रसायनज्ञ
14.11.2022

14.11.22
(एम.के.कुलश्रेष्ठ)
तकनीकी सलाहकार